मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/ 6819 /MIS/MGNREGS-MP/15, दिनांक 02/07/2015

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला पंचायत– समस्त (म.प्र.)

विषयः– **R 11** एवं **R 13** के कारण एफटीओ रिजेक्शन एवं उक्त ट्रांजेक्शन को पुनः प्रोसेस करने के संबंध में।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नरेगा पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट में बैंक/पीएफएमएस द्वारा एफटीओ प्रोसेस करने के उपरान्त उन्हें **R 11 (Any other reasons/Unspecified error)** एवं **R 13 (Insufficient fund)** कारणों से रिजेक्ट किया गया था, जिसे किन्ही कारणों से एफटीओ रिजेक्ट ट्रांजेक्शन को रि–प्रोसेस करने की अनुमति एनआईसी द्वारा नहीं दी गई थी।ऐसे प्रकरणों में परीक्षण उपरान्त रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का रि–एफटीओ बनाया जाये एवं पुनः प्रोसेस करके भुगतान की कार्यवाही तत्काल की जाये। उक्त की जानकारी ई–मेल के माध्यम से जिलों को दी जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिये कृपया निम्नलिखित मार्गदर्शीय निर्देशों का परीक्षण कर लिया जाये, जिससे कि डबल भुगतान की संभावना न हो अथवा त्रुटिपूर्ण गलत खाते में यदि भुगतान हो गया है तो उक्त खाते की पहचान कर राशि वापिसी कर सही खाते में राशि पहुंचाने की आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उपरोक्तानुसार ऐसे समस्त ट्रांजेक्शन को रि–प्रोसेस करने के पूर्व जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत यह सुनिश्चित कर लें कि –

1. ग्राम पंचायत/क्रियान्वयन एजेंसी से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लिया जाये कि संबंधित के खाते में राशि प्राप्त नहीं हुई है।
2. यदि एफटीओ की राशि जिला स्तरीय खाते से आहरित हुई है तो जिला पंचायत यह सुनिश्चित कर ले कि रिजेक्टेड ट्रांजिक्शन्स का भुगतान जिले के खाते में वापिस हुआ है अथवा नहीं।
3. यदि बिन्दु क्रमांक 01 एवं 2 अनुसार यह प्रमाणित होता है कि संबंधित हितग्राही के खाते में राशि नहीं पहुंची है एवं जिले के खाते में राशि वापिस आ गई है, तो ऐसी स्थिति में अविलंब रि–प्रोसेसिंग कर एफटीओ के माध्यम से भुगतान किया जाये। यदि ग्राम पंचायत के सत्यापन पर भुगतान की कार्यवाही कर दी गई है, तो कृपया बिन्दु क्र 2 का परीक्षण जिला स्तर से पृथक से करा लिया जाये।
4. यदि राशि संबंधित के खाते में पहुंच गई है तो उक्त ट्रांजेक्शन्स के एफटीओ बनाते समय प्रथम सिगनेटी द्वारा आलरेडी पैड विकल्प से ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट किया जाये।
5. ऐसे समस्त एफटीओ जिनका भुगतान जिला स्तरीय खाते से हुआ है यदि भुगतान संबंधित हितग्राही के खाते में नहीं हुआ है एवं जिला स्तरीय खाते में राशि हस्तांतरण नहीं हुई है तो यह संभव है कि गलत खाते में राशि ट्रांसफर हो गई है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि रिजेक्शन होने के पूर्व हितग्राही का खाता नरेगा सॉफ्ट में क्या था ? उक्त खाते में राशि हस्तांतरण का प्रकरण का परीक्षण जिला पंचायत लेखाधिकारी द्वारा किया जाये। यदि उक्त खाते में राशि त्रुटिवश ट्रांसफर हो गई है तो ऐसे प्रकरणों में राशि वापिसी की कार्यवाही तत्काल की जाये।
6. अतः ऐसे प्रकरणों में राशि वापिसी की कार्यवाही कर परिषद् को अवगत करा देंवे, जिससे कि संबंधित हितग्राही का खाता दुरूस्त करने की कार्यवाही की जा सके तथा सही हितग्राही के खाते में राशि हस्तांतरण की जा सके। यह कार्यवाही जिला पंचायत के लेखाधिकारी द्वारा की जाये।
6. यदि आर 11 के ऐसे प्रकरण वित्तीय वर्ष 2015–16 में तैयार एफटीओ के हैं तो बिन्दु क्रमांक 5 एवं 6 अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर परिषद को अवगत कराया जाये।

(स्मिता भारद्वाज)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल